विद्युत करघा क्षेत्र के लिए समूह वर्क शेड योजना के

अशोधित मार्गदर्शक बिन्दू

1.0 परिचय:- विद्युत करघा इकाइयों को एक समूह के रुप में संयोजित करने एवं अधिक स्थान, कार्य के वातावरण की दृष्टि से कार्य की बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के उददेश्य से, कार्य दक्षता में सुधार लाने तथा वैश्विक बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के उद्देश्य से विकेंद्रित विद्युत करघा क्षेत्र के लिए विद्यमान समूह वर्कशेड योजना को समुचित रुप से आशोधित करके विद्युत करघा क्षेत्र के लिए 'आशोधित समूह वर्कशेड के लिए योजनाएं' तैयार की गई हैं ।

2.0 उद्देश्य

2.1 योजना का प्रमुख उद्देश्य पहले से विद्यमान अथवा नये समूह में आधुनिक करघों के लिए वर्कशेडों की स्थापना को सुकर बनाना है, जो कार्य - प्रचालन के लिए आवश्यक उत्पादन पैमाने की मितव्ययता प्रदान करेगा ।

3.0 योजना का विस्तार

3.1 योजनाओं के अंतर्गत वर्कशेडों में आधुनिक मशीन करघे, बुनाई पूर्व की क्रियाएं तथा सेक्शनल वार्पिंग मशीनें तथा कार्य हेतु अन्य आवश्यकताएं संस्थापित करने के लिए आवश्यक स्थान शामिल है, जो साथ - साथ निम्नलिखित पैमाने पर होगा -

क आधुनिक करघों के लिए स्थान

♣ स्वचालित करघा	: 200 स्कवे. फूट
♣ शटललेस करघा	: 400 स्कवे. फूट
♣ अधिक चौडाई वाला शटललेस करघा	: 600 स्कवे. फूट

3.2 बुनाई - पूर्व की मशीनें जैसे साइजिंग मशीन, सेक्शनल वार्पिंग मशीन आदि तथा सामान्य सुविधाएं जैसे परीक्षण प्रयोगशाला, नमूना प्रदर्शक कक्ष, कार्यालय, कामगारों की सुख - सुविधाओं आदि के लिए करघा क्षेत्र के 40% से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा ।

आधार भूत सुविधाओं के लाभ हेतु

♣ लाभार्थी किसी आधारभूत सुविधाओं के लाभ हेतु वस्त्र मंत्रालय की किसी अन्य योजना अर्थात् एसआईटीपी के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा ।

4.0 पात्रता

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु निम्नलिखित सामान्य मार्गदर्शक बिंदु निर्धारित गए हैं -

1. पात्र लाभार्थियों में विद्युतकरघा इकाइयों के साथ संलग्न बुनकर, उद्यमी शामिल हैं, जिनमें कुशल बुनकर विद्युतकरघा बुनकरों की पंजीकृत सहकारी संस्थाएं अथवा समूह शामिल हैं ।
2. **समूह में कम से कम 4 बुनकर / उद्यमी शामिल होंगे, जिनकी विधि की दृष्टि से अलग - अलग आस्तित्व होगा । समूह में 4 व्यक्तियों में कम से कम 48 आधुनिक करघे (स्वचालित / एकल चौडाई के शटललेस करघे) अथवा 24 अधिक चौडाई के शटललेस करघे वर्कशेड में संस्थापित होंगे । प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 6 करघे होने चाहिए ।**
3. 'विद्युत करघा इकाई ' में बुनाई, पूर्व क्रियाएं जैसे वाइंडिंग, वार्पिंग, साइजिंग आदि शामिल होंगे, जिसमें स्टैन्ड अलोन इकाई समाविष्ट है ।
4. यह अपेक्षित है कि लाभर्थी वर्कशेड में संस्थापित करने हेतु करघों एवं प्रारभिक मशीनों की खरीद हेतु नए निवेश करेगा । इस योजना के तहत् संस्थापित होने वाले करघे प्रौउनियो मापदंडों **के अनुसार स्वचालित करघों तथा उससे उच्च स्तर के होने चाहिए ।**
5. योजना एक परियोजना के तहत् 500 से अधिक करघों पर विचार नहीं करता ।

5.0 भूमि की खरीद तथा निकासी

5.01 कार्यकारी अभिकरण से अपेक्षित है कि सरकार को परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले आवश्यक जमीन उसके कब्ज़े में हो ।

5.02 जमीन का विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, अनुमोदित ढांचा, अनुमोदित बिल्डिंग प्लान होना चाहिए तथा जमीन रास्ते से पास होनी चाहिए ।

6.0 प्रचालन के दिशानिर्देश

6.01 इस योजना के तहत् परियोजना स्थापित करने हेतु एक कार्यकारी अभिकरण होगा (का.अ. के रुप में संबोधित), जिसमें राज्य सरकार अथवा इसका अभिकरण, अथवा विद्युतकरघा मालिकों के एक समूह कम से कम चार लाभार्थी अथवा स्थानीय विद्युतकरघा संघ द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्थापित कंपनी समाविष्ट होगी ।

6.02 का.अ. परियोजना के तहत सबसिडी प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं को दर्शाते हुए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के पावरलूम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तेया करेगा जो डेवलपमेंट सेल (पीडीसी) को इसके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करेगी, जिसकी आग्रिम प्रति पीडीसी को भेजी जाएगी ।

- ♣ परियोजना का कार्यकारी सारांश
- ♣ का.अ. का स्वरुप क्या सरकारी अभिकरण है या सरकारी संस्था या कंपनी
- ♣ भूमि - स्थान का विवरण, स्वामित्व का विवरण (स्वयं का / पट्टे पर) तथा इसकी लागत
- ♣ प्रत्येक लाभार्थी द्वारा संस्थापन के लिए प्रस्तावित वर्कशेडों तथा करघों सहित लाभार्थियों का विवरण । (मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट - 1 देखें)
- ♣ परियोजना की घटक - वार लागत (मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट - 2 देखें)
- ♣ का.अ. केन्द्र सरकार तथा अन्य का हिस्सा एवं ऋण दर्शाते हुए परियोजना निधियन ढांचा (मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट - 2 देखें)
- ♣ प्रयोक्ता प्रभारों की उगाही एवं ऋण की अदायगी सहित परियोजना को चलाने संबंधी विवरण (मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट - 3 देखें) पी ई आर टी /सीपीएम के साथ माह - वार कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए विनिर्माण की अनुसूची
- ♣ शेडों का स्थान, रास्ता / पानी आपूर्ति / बिजला / ड्रनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए परियोजना का ढांचा ।

6.03 विद्युतकरघा भवन के विनिर्माण के लागत का अनुमान प्राप्त करने हेतु आधार के रुप में उस राज्य में प्रचालित के.लो.नि.वि.के दरों की अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा ।

6.04 लाभार्थी को यह शपथपत्र देना होगा कि प्रस्तावित विद्युतकरघा भवन, जिसके लिए योजना के तहत् सहायता ली जा रही है, वह केवल निर्धारित तकनीक के करघे तथा प्रारंभिक मशीनें संस्थापित करने के उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाएगी एवं किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं की जाएगा ।

6.05 **यह अपेक्षा है कि सबसिडी प्राप्त करने वाली इकाई, सबसिडी के वितरण की तिथि से उसी स्वामित्व में कम - से - कम तीन वर्ष तक कार्यरत रहनी चाहिये ।**

6.06 **परियोजना अनुमोदन समिति**

योजना के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजनाएं 'परियोजना अनुमोदन समिति '
को अनुमोदन हेतु भेजी जाएगी ।

i **यदि भारत सरकार का हिस्सा / सहायता रुपये 1.00 करोड से अधिक हैं ।**

अध्यक्ष	**सचिव (वस्त्र)**
सदस्य	**एस एस एवं एफ ए**
सदस्य	**संयुक्त सचिव (पी एल)**
सदस्य	**योजना आयोग के प्रतिनिधि**
सदस्य सचिव	**वस्त्र आयुक्त**

ii यदि भारत सरकार का हिस्सा / सहायता रुपये 1.00 करोड से कम हैं ।

अध्यक्ष	वस्त्र आयुक्त
सदस्य	संयुक्त सचिव (पी एल)
सदस्य	आई एफ डब्ल्यू के प्रतिनिधि
सदस्य	अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन / आकलन करने के लिए परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक मासिक रुप से अथवा कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाए ।

6.07 कार्यकारी अभिकरण किसी भी अनुसूचित बैंक में निलंब खाता खोलेंगे तथा आशोधित स.व.यो. के सभी भुगतान निलंब खाते के माध्यम से लिए जाएंगे, जो का.अ. के एक सदस्य तथा क्षेत्रीय कार्यालय के एक सदस्य द्वारा संयुक्त रुप से चलाया जाएगा ।

6.08 परि अनु. समिति द्वारा अनुमोदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् तथा निलंब खाता खोलने के पश्चात् लाभार्थी निर्माण कार्य आरंभ करेगा । प्रारंभिक 30% आग्रीम तभी दिया जाएगा, यदि भूमि भारत सरकार के पास गिरवी हो, यदि भूमि गिरवी नहीं हो तो भारत सरकार के कुल हिस्से का 30% आनुपातिक व्यय के अनुसार जारी किया जाएगा ।

6.09 का.अ. को सबसिडी जारी करने का दावा वस्त्र आयुक्त को करना होगा ।

6.10 परियोजना की रुपरेखा में कोई भी परिवर्तन होने पर परि.अनु. समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

7.0 स्थानीय स्तरीय देखरेख समिति (एलएलएमसी) स्थानीय स्तरीय देखरेख समिति प्रत्येक केन्द्र के लिए गठित की जाएगी, जिसमें वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय तथा स्थानीय जिला, उद्योग केन्द्रों के अधिकारी, स्थानीय विद्युतकरघा संघ तथा / या संबंधित वि.स. / बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं । पात्र सबसिडी एलएलएमसी की वास्तविक जांच रिपोर्ट के पश्चात् ही जारी की जाएगी ।

8.0 वित्तीय सहायता एवं निधिकरण ढांचा

8.01 इस योजना के अंतर्गत विद्युतकरघा भवन के निर्माण कार्य हेतु सबसिडी निर्माण कार्य की एकक लागत के 40% तक सीमित होगी, बशर्ते कि उक्त प्रति स्कवे.फीट अधिकतम रुपये 120/- हेगा ।

8.02 24 शटललेस करघे संस्थापित करने हेतु प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुमत्य सबसिडी प्रति स्कवे.फीट रुपये 120/- की दर की शर्त पर रु. 12.00 लाख तक सीमित होगी ।

9.0 सबसिडी जारी करना :-

लाभार्थीयों को भारत सरकार का हिस्सा जारी करने हेतु निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाएगी ।

9.01 यदि भूमि भारत सरकार के पास गिरवी है तो, परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार के कुल हिस्से का 30% अग्रिम यदि भूमि गिरवी नहीं है तो, कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा, किन्तु 30:30:40 के अनुपात में यथानुपात प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

9.02 पहली किश्त के उपयोगिता प्रमाणपत्र के पश्चात् तथा सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त वास्तुविद् एवं एलएलएमसी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक व्यय के बाद भारत सरकार के कुल हिससे का 30%

9.03 आशोधित वर्कशेड का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात् भारत सरकार के कुल हिस्से का 40% जारी किया जाएगा ।

लाभार्थियों का ब्यौरा

क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	अन्य स्थानों से स्थानांतरित किये जाने वाले करघों की संख्या				खरीदे जानेवाले करघों की संख्या				खरीदे जानेवाले करघों की अनुमानित लागत (रू.लाख में)	शेडस			उत्पाद की रूपरेखा	व्यापार का प्रकार (निर्यात/ घरेलू)
			अर्ध स्वचालित	स्वचालित	शटल लेस	कुल	अर्ध स्वचालित	स्वचालित	शटल लेस	कुल		आकार स्क्वे.फीट (प्रत्येक)	संख्या **	कुल क्षेत्र स्क्वे.फीट में		

टिप्पणी

1. प्रिपेरेटरी मशीनें, यदि कोई हो, लगाने वाले लाभार्थी का विवरण कृपया उपरोक्त सारणी के नीचे दें ।

2.* कृपया सूचित करें कि लाभार्थी विद्युत करघा बुनकर है या कुशल बुनकर अथवा बुनाई उद्योजक ।

3.** यदि एक से ज्यादा लाभार्थी एक शेड बाँट रहे हैं, उनके नाम क्रम से लिखें तथा उनके समक्ष एक शेड दर्शाये ।

परिशिष्ट-2

परियोजना लागत तथा वित्तीय सहायता का ब्यौरा

अनु. क्र.	मद	घटक/ लागत	* वित्तीय सहायता (रू. लाख)			कुल
			स्वयं का अंशदान	सरकार की सबसिडी	वित्तीय संस्थानों से ऋण	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.	**भूमि**					
	क. कुल क्षेत्र एकड़ में		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ख. प्रति एकड़ लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ग. कुल लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
2.	**वर्कशेड**					
	क. शेड की कुल संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ख. कुल क्षेत्र (स्क्वे.फीट)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ग. प्रति स्क्वेअर विनिर्माण की लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	घ. कुल लागत					
3.	**आधारभूत सुविधाएं**					
	क. अंदर के रास्ते		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• स्क्वे.मीटर में रास्ते का क्षेत्र		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• प्रति स्क्वे.मी. लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• कुल लागत					
	ख. बिजली आपूर्ति					
	• एम.डब्ल्यू. में लोड		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• *** पूंजी लागत					
	ग. पानी की आपूर्ति					
	• कि.लि. में मात्रा		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• # कुल लागत					
	घ. ड्रेनेज					
	• लंबाई मीटर में		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• प्रति रनिंग मीटर लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• कुल लागत					
	च. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
	•					
	•					
	•					
	•					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	छ. कुल आधारभूत सुविधाओं की लागत (क+ख+ग+च)					
4.	**करघे तथा प्रिपरेटरी मशीनें**					
	क. वर्तमान जगह से स्थानांतरित होनेवाले करघों की संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ख. खरीदे जाने वाले करघे		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ग. करघों की कुल संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	घ. उपरोक्त (ख) पर उल्लिखित करघों का कुल मूल्य					
	च. ** प्रिपरेटरी मशीनें		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	छ. मशीनों की संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ज. कुल मूल्य					
	झ. मशीनों का कुल मूल्य **(घ + ज)**					
5.	**कुल जोड़ (1+2+3+4)**					

टिप्पणी

1. **सरकार से मिलनेवाली सबसिडी का विवरण जहां लागू है वहां करना है जैसे वर्कशेड्स, मशीनें तथा आधारभूत सुविधाएं**
2. *** कृपया प्रत्येक घटक के जोड़ के समक्ष उल्लेख करें ।**
3. **** कृपया प्रिपरेटरी मशीनों के प्रकार का उल्लेख करें ।**
4. ***** केवल पूंजी लागत का समावेश किया जाए : ट्रान्सफॉर्मर, डिस्ट्रीब्युशन लाइन्स, जनरेशन कॉस्ट (यदि लागू हो) । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लौटाये जाने योग्य डिपॉजिट का समावेश नहीं किया जाए ।**
5. **# केवल पूंजि लागत जैसे बोर वेल, ओवर हेड टैंक तथा डिस्ट्रिब्यूशन लाइन्स ली जाएं ।**

परिशिष्ट-3

रखरखाव तथा ऋण की चुकौती के लिये लाभार्थियों द्वारा अपेक्षित वार्षिक अंशदान का ब्यौरा ।

अनु. क्र.	घटक	राशि (रू. मे)				
1.	रखरखाव की लागत का विवरण/वर्ष					
	क. वर्कशेडस					
	ख. आधारभूत सुविधाएं					
	* बिजली की आपूर्ति					
	* पानी की आपूर्ति					
	* रास्ते तथा ड्रेनेज का रखरखाव					
	ग. वॉच तथा वॉर्ड					
	घ. कुल लागत					
	च. वर्कशेडस का कुल क्षेत्र					
	घ. रखरखाव लागत/प्रति वर्ष वर्कशेड का स्क्वे.फिट					
2.	ऋण चुकौती					
		वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
	* क. कुल ऋण					
	ख. ब्याज सहित वार्षिक चुकौती					
	ग. लाभार्थी द्वारा वर्कशेड क्षेत्र प्रति स्क्वे.फिट किया जाने वाला वार्षिक भुगतान वर्ष वार					

*** यह वर्कशेड के विनिर्माण एवं सामान्य आधारभूत सुविधाओं यदि कोई हो के विकास के लिए काअ द्वारा उधार ली गई ऋण की राशि है ।**